

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Civil Transfer Appl. No. 299/2025

Smt. Saroj W/o Shri Mukesh Kharkhodiya, Aged About 37 Years,
D/o Shri Shiv Kumar, R/o Near Umrao Plaza, Opposite Shiv
Dresses, Kothari Road, Sujangarh, District-Churu (Raj).

-----Petitioner

Versus

Mukesh Kharkhodiya S/o Shri Gopal Ram, R/o 3-E-76, Jay
Narayan Vyas Colony, Bikaner, District-Bikaner (Raj).

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Naresh Singh

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

26/11/2025

अप्रार्थी की तामील हेतु योग्य अधिवक्ता प्रार्थी पीएफ व नोटिस दो प्रतियों में दो सप्ताह की अवधि में पेश करें।

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने पर अप्रार्थी को छह सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस दो प्रतियों में जारी कर एक प्रति साधारण प्रक्रिया से तथा दूसरी प्रति रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजे जाने हेतु अपीलार्थी अथवा उसके अधिवक्ता को दस्ती उपलब्ध करवाई जाए।

प्रकरण छह सप्ताह पश्चात सूचीबद्ध किया जावे तब तक न्यायालय पारिवारिक न्यायालय संख्या 01, बीकानेर के समक्ष लंबित प्रकरण संख्या 270/2025 बअनुवान मुकेश बनाम सरोज की आगामी कार्यवाही स्थगित रहेगी।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J